सेवा में, मंत्री राजस्व विभाग, पटना, बिहार

दिनांक - 17/11/2022

विषय - अवैध दाखिल ख़ारिज याचिका संख्या 3567 / 2022 - 2023 को रोकने के सम्बन्ध में।

महोदय.

निवेदन है कि सोनपुर अंचल के खरिका ग्राम में हमारा प्लाट है, जिसका खाता संख्या - 313, खेसरा संख्या - 468, जमाबंदी संख्या - 54/760, भाग वर्तमान - 6, पृष्ठ संख्या 666 एवं रकवा - 29.8 डिसमल है। इस प्लाट के रैयत का नाम - अशोक कुमार सिंह, सुरेंद्र कुमार सिंह, उपेंद्र कुमार सिंह, राधाचरण सिंह एवं नागेंद्र कुमार सिंह है जिसका राजस्व लगान 2022 तक जमा है। इस आवेदन के साथ रसीद भी संलग्न किया जा रहा है।

महोदय, इस जमीन पर अवैध रूप से दाखिल ख़ारिज करने के लिए याचिका दी गई है, जिसकी याचिका संख्या 24016 है एवं वाद संख्या वर्ष के साथ - 3567 R 27 / 2022 -2023 है | इस याचिका को देने वाले का नाम - ब्रजेश कुमार है , अभिभावक का नाम- रामदेव सिंह है, जिसका इस प्लाट पर पूर्वजो से कभी कोई अधिकार नहीं है | यह दाखिल ख़ारिज याचिका पूर्ण रूप से अवैध है |

अतः आपसे अनुरोध है के इस याचिका को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए तथा उचित करवाई की जाए ।

संलग्न - राजस्व भूमि रसीद 2022 तक, अवैध दाखिल ख़ारिज याचिका 3567 R 27 / 2022 -2023 आपका विश्वासी,

अशोक कुमार सिंह,

राजीव रंजन सिंह

ग्राम + पो - खरिका

जिला - सरण